न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 210/2011

1 इन्द्रा देवी बेवाह भींवाराम।
2 मदनलाल पुत्र भींवाराम।
3 बनवारीलाल पुत्र भींवाराम।
4 रामोतार पुत्र भींवाराम।
5 भंवरलाल बेवाह जोधाराम।
6 बुधाराम पुत्र जोधाराम।
7 डालूराम पुत्र जोधाराम।
8 नारूराम पुत्र जोधाराम।
9 कजोड़ी पुत्री जोधाराम।
10 धन्नी देवी बेवाह झुथाराम।
11 मंगलचन्द पुत्र झुथाराम।
12 सांवरमल पुत्र झुथाराम।
13 ताराचन्द पुत्र झुथाराम।
14 मनोहरलाल पुत्र झुथाराम।
15 मोहनलाल पुत्र सुरजाराम।
16 गीन्दाराम पुत्र सुरजाराम।
17 भगवानाराम पुत्र सुरजाराम।
18 जगदीश पुत्र सुरजाराम समस्त जाति माली निवासीगण मंहतो की कोठी कंवरपुरा रोड़ सीकर तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

1 मूर्ति मन्दिर श्री गोपीनाथजी बिराजमान वाके सुभाष चौक कस्बा सीकर तहसील व जिला सीकर जरिये पूजारी महंत श्री गोस्वामी गोपाललाल देव पुत्र नाथूलाल जाति ब्राहम्ण निवासी बड़ा गोपीनाथजी का मन्दिर सुभाष चौक सीकर।

2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सीकर बहैसियत भूमिधारी।

3 ताराचन्द पुत्र सीताराम।

4 मनभरी बेवाह गणेश।

5 गुढ़ी बेवाह सीताराम समस्त जाति माली निवासीगण इच्छापूर्ण बालाजी के पास कंवरपुरा रोड़ सीकर।

6 बजरंगलाल पुत्र भींवाराम जाति माली निवासी मंहतो की कोठी कंवरपुरा रोड़ सीकर।

7 प्रकाशचन्द पुत्र रामप्रताप जाति ब्राहम्ण निवासी गनेडी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

8 सुमित्रा पत्नी नन्दलाल।

9 पूनम शर्मा पत्नी विकास।

10 पूनम शर्मा पत्नी मनीष समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण कंवरपुरा रोड़ हाल इच्छापूर्ण बालाजी के पास कंवरपुरा रोड़ सीकर जिला सीकर।

11 सुमन पत्नी कमल बियाला जाति ब्राहम्ण निवासी फतेहपुर जिला सीकर हाल इच्छापुर्ण बालाजी के पास कंवरपुरा रोड़ सीकर तहसील व जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट विरूद्व निर्णय व डिकी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर दिनांक 19.07.2011 मुकदमा नम्बर 208/2010 दावा उनवानी मूर्ति मन्दिर श्री गोपीनाथजी बनाम बजरंगलाल आदि

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री सोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री भागीरथ चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री गणपतलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 24.5.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 208/2010 में पारित निर्णय दिनांक 19.07.2011 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से अपीलांट एवं औपचारिक रेस्पोडेंट संख्या 3 से 11 के विरूद्व विचारण उपखण्ड अधिकारी सीकर में कृषि भूमि खसरा नम्बर 497 रकबा 22 बीघा 6 बिस्वा नये खसरा नम्बर 1215,1216,1218,1219 किता 4 कुल रकबा 5.73 हैक्टेयर वाके कस्बा सीकर के बाबत एक झुठा दावा उनवानी मूर्ति मन्दिर श्री गोपीनाथजी बनाम बजरंगलाल मुकदमा नम्बर 208/2010 दिनांक 28.12.2010 को पेश किया गया था। अपीलांट संख्या 18 ने व औपचारिक रेस्पोडेंट ने जवाब दावा पेश कर दिया था। तहसीलदार सीकर के विरूद्व दिनांक 28.02.2011 को ही एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित कर दिये गये। तारीख पेशी 19.07.2011 को ही एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित कर दिये गये। तारिख पेशी 19.07.2011 को तनकीयात कायम करने हेतु नियत की गयी थी। दिनांक 19.07.2011 को तनकीयात कायम नही की गयी और अपीलांट को साक्ष्य सबूत हेतु कोई अवसर दिये बिना ही और सुनवाई का अवसर दिये बिना ही तहसीलदार सीकर जिनके खिलाफ दिनांक 28.02.2011 को ही एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित हो गये थे लिखित बहस जिनकी प्रतिलिपि भी अपीलांट को नही दी गयी। इसके आधार पर दावा में अंकित भूमि पुराने खसरा नम्बर 497 के अलावा अन्य भूमियां

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

खसरा नम्बर 160,251,275,496,273 कुल किता 6 कुल रकबा 330 बीघा 1 बिस्वा को रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने तथा काबिज काश्तकार अपीलांट से आधा बांटा लेकर रेस्पोडेंट संख्या 1 को देवे यदि वर्तमान कृषक बांटा नही दे तो अन्य किसी को बांटे पर दे, ऐसा निर्णय व डिक्री पारित कर दी गयी। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि दिनांक 19.07.2011 को विचारण न्यायालय मे तनकीयात कायम करने हेतु नियत की गयी थी। दिनांक 19.07.2011 को न तो तनकीयात बनायी गई और उपरोक्त अपीलांट को साक्ष्य सबूत पेश करने का कोई अवसर भी नही दिया गया और सुनवाई का अवसर भी नही दिया गया। विचारण न्यायालय में दावा केवल मात्र भूमि पुराने खसरा नम्बर 497 रकबा 22 बीघा 6 बिस्वा नये खसरा नम्बर 1215, 1216,1218,1219 कुल किता 4 कुल रकबा 5.73 हैक्टेयर वाके कस्बा सीकर के बाबत किया गया था। जिस दावे में तनकी बनायी जाकर साक्ष्य सबूत लेकर किसी भी रूप में साबित नही किया गया स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूअल के विधिक प्रावधानों की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष को सुनकर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विवादित भूमि माफी मन्दिर गोपीनाथजी के नाम भू–प्रबन्ध से पूर्व 1998 की मिसल हकियत में मन्दिर की खातेदारी में रही है। मन्दिर शाश्वत नाबालिग है। इसे दृष्टिगत रखते हुये विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित कर कोई विधिक त्रुटि नही की है। अपील खारिज की जावें।

भू-प्रवन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 19.07.2011 को विचारण न्यायालय मे तनकीयात कायम करने हेतु नियत की गयी थी। दिनांक 19.07.2011 को न तो तनकीयात बनायी गई और अपीलांट को साक्ष्य सबूत पेश करने का कोई अवसर भी नही दिया गया और सुनवाई का अवसर भी नही दिया गया। विचारण न्यायालय में दावा केवल मात्र भूमि पुराने खसरा नम्बर 497 रकबा 22 बीघा 6 बिस्वा नये खसरा नम्बर 1215, 1216,1218,1219 कुल किता 4 कुल रकबा 5.73 हैक्टेयर वाके कस्बा सीकर के बाबत किया गया था। जिस दावे में तनकी बनायी जाकर साक्ष्य सबूत लेकर किसी भी रूप में साबित नही किया गया स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूअल के विधिक प्रावधानों की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को विधिक प्रक्रिया की पालना कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई गुणावगुण पर निर्णय हेतु प्रति प्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 01.07.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 24.5.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर